निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ 1946 (श0)

(सं0 पटना 511) पटना, बुधवार, 12 जून 2024

सं० 27/आरोप–01–09/2023 सा0प्र0––6013
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
12 अप्रील 2024

श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक 701/11 तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजपुर, बक्सर के विरूद्ध अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति, मुख्यालय में निवास नहीं करने, निर्वाचन कार्यो की उपेक्षा करने आदि प्राप्त आरोपों के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3976 दिनांक 06.05.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 344 दिनांक 01.08.2017 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक 11088 दिनांक 29.08.2017 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार का लिखित अभिकथन (दिनांक 26.09.2017) प्राप्त हुआ।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा के उपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध (1) निन्दन (2) संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धियों पर रोक का दंड विनिश्चित किया गया। तदुपरान्त विभागीय पत्रांक 15141 दिनांक 29.11.2017 द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2647 दिनांक 01.02.2018 द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी। तदुपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2906 दिनांक 01.03.2018 द्वारा श्री कुमार को (1) निन्दन (2) संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10617 दिनांक 07.08.2018 द्वारा श्री कुमार की पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए दंड को यथावत रखा गया।

2. श्री कुमार द्वारा स्वयं पर अधिरोपित दंड के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 476/2019 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 07.02.2023 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

Accordingly, impugned orders contained in memo No. 2906 dated 01.03.2018, memo No. 10617 dated 07.08.2018 and memo No. 2906 dated 01.03.2018 are hereby, quashed and set aside. As the impugned orders are quashed on the ground of procedural lapses, respondents are at liberty to proceed afresh against the petitioner from the stage of second show cause notice.

3. उक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय पत्रांक 7771 दिनांक 24.04.2023 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। स्मारोपरान्त पत्रांक 1503 दिनांक 14.07.2023 द्वारा श्री कुमार का लिखित अभिकथन प्राप्त हुआ, जिसमें स्वयं पर लगे आरोप का प्रतिवाद किया गया है।

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं उक्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में श्री कुमार द्वारा दुबारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पुनः की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा जिला पदाधिकारी, बक्सर को दिये गये स्पष्टीकरण में भी इस बात का जिक्र किया गया है इनके द्वारा भविष्य में मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित न रहने का आश्वासन दिया गया था। स्पष्ट है कि श्री कुमार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं। श्री कुमार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक 650 दिनांक 26.10.2002 को संलग्न किया गया है, जिसमें स्पष्टतः अंकित है कि दिनांक 19.10.2002 को प्रातः काल 8:00 बजे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा खोज करने पर ज्ञात हुआ कि ये मुख्यालय में नहीं हैं। देर शाम 7:00 बजे उनके आगमन के पश्चात उनके प्रखण्ड की प्राथमिक सूची की तैयारी पूर्ण की जा सकी। इस तिथि को अपर समाहर्ता, बक्सर के राजपुर अंचल निरीक्षण में ये अनुपस्थित पाये गये। उनके इन कृत्यों के लिए जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया तथा सुधार नहीं होने की दशा में आरोप पत्र गठित कर इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

5. समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राजेश कुमार के बचाव बयान को अस्वीकार करते हुए सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या 476/2019 में दिनांक 07.02.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2906 दिनांक 01.03.2018 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10617 दिनांक 07.08.2018 को पारित दंडादेश को रद्द करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथा संशोधित नियमावली, 2005 के नियम, 14 के अन्तर्गत (1) निन्दन (आरोप वर्ष 2003–04) (2) दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। तदुपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16241 दिनांक 24.08.2023 द्वारा श्री राजेश कुमार को (1) निन्दन (आरोप वर्ष 2003–04) (2) दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित किया गया है।

6. श्री कुमार द्वारा स्वयं पर अधिरोपित दंड के विरूद्ध एक पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से अभिकथित है कि :–

(i) दिनांक 29.08.2002 को व्यवहार न्यायालय, पटना सिटी में एक निजी वाद में उपस्थित होने की सिलसिले में दिनांक 28.08.2002 को जिला पदाधिकारी से छुट्टी तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगी गयी थी। उस समय जिला पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के अभ्यावेदन को न तो स्वीकृत किया गया और न अस्वीकृत किया गया। बाद में श्री कुमार के आवेदन को जिला पदाधिकारी द्वारा दिनांक 30.08.2002 को अस्वीकृत कर दिया गया।

(ii) दिनांक 14.09.2002 को उत्तर साक्षरता हेतु कार्यशाला में भाग लेने हेतु श्री कुमार बक्सर समाहरणालय में उपस्थित थे। कार्यशाला देर शाम तक चली इसके बाद ये बक्सर बाजार से दैनिक सामग्री की खरीदारी एवं रास्ते में खाना आदि के बाद देर रात प्रखण्ड कार्यालय पहुँचें। अतः खोजबीन करने पर उपलब्ध नहीं पाये गये।

(iii) दिनांक 18.10.2002 की सप्ताहिक बैठक में उनके द्वारा निदेश दिया गया था कि सभी संलग्न कर्मी अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर के निदेशानुसार उनके कार्यालय में उपस्थित रह कर कार्यों का निपटारा करेंगे। प्रखंड मुख्यालय, राजपुर से करीब 1:00 बजे अपराह्न श्री कुमार बक्सर जिला/अनुमंडल गये। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रथम प्राथमिक सूची दिनांक 21.10.2002 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को समर्पित किया जाना था, अतः दिनांक 19.10.2002 को रात्री करीब 11:00 बजे तक हस्ताक्षर कर उसी दिन अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर को समर्पित किया गया। अतः अनुपस्थित रहने की बात गलत एवं तथ्यहीन है।

(iv) जिला पदाधिकारी के पत्रांक 529 दिनांक 23.09.2002 द्वारा उन्हें प्रतिशपथ पत्र दायर करने के लिए आदेशित किया गया था। दिनांक 23.09.2002 को प्रतिशपथ पत्र दायर करने के बाद अस्वस्थता के कारण वे दिनांक 24.10.2002 से दिनांक 10.11.2002 को तक चिकित्सक के परामर्श से आराम में रहे। इस क्रम में उनके द्वारा डाक के माध्यम से अपना आवेदन भी जिला पदाधिकारी, बक्सर को भेजा गया।

(v) दिनांक 21.10.2002 को राजपुर प्रखंड के अंतर्गत सफुआना ग्राम में तथा दिनांक 22.10.2002 को ग्राम–कैथरकलाँ, परसियाँ समहुता में माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग श्री छेदी लाल राम का क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम था। माननीय मंत्री द्वारा बुलाये जाने पर ये उनके कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। पुनः दिनांक 23.12.2002 को तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, बक्सर के द्वारा अंचल की साप्ताहिक बैठक में राजपुर प्रखंड स्थित उनके प्रखंड में भाग लिया गया, जिसमें ये उपस्थित थे।

(vi) दिनांक 28.01.2003 को निर्वाचन वाद संख्या 21/2001 राजेन्द्र सिंह बनाम बिहार सरकार में गवाही हेतु ये मुन्नी लाल यादव सरकारी अधिवक्ता, बक्सर द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित थे, जिसमें संबंधित बुथ के पीठासीन पदाधिकारी से मुन्सिफ (ii) के समक्ष गवाही करायी गयी थी। दिनांक 29.01.2003 को पूर्व निर्धारित राजस्व कैम्प हल्का संख्या–9 धनसोई में आयोजित किया गया था, जिसमें राजस्व कर्मचारी श्री संजीत कुमार सिंह की निरीक्षण टिप्पणी की प्रति अंचलाधिकारी कार्यालय राजपुर द्वारा जिला पदाधिकारी, बक्सर को प्रेषित की गयी थी। श्री कुमार के अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति के सत्यापन के संबंध में उक्त तिथि तक उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और न उनके कार्यालय को इस संबंध में पत्र ही प्राप्त हुआ था। श्री ओम प्रकाश अनुसेवक शस्त्र शाखा द्वारा उक्त पत्र तामिला नहीं कराया गया।

(vii) दिनांक 04.02.2003 को सरकारी अधिवक्ता श्री दुनिया प्रसाद राय से न्यायिक मामलों के विमर्शो उपरांत 2 वादों में तथ्य विवरणी प्रेषित की गयी। पुनः अंचल कार्यालय, राजपुर द्वारा अपर समाहर्ता भू–राजस्व प्रशाखा को राजस्व कर्मचारी सुरंजीत सिंह के वित्तीय वर्ष 2002–03 के लक्ष्य से कम राजस्व वसूली के विरूद्ध प्रपत्र 'क' भेजा गया था। उक्त तिथि को राजपुर प्रखंड से बक्सर जिला मुख्यालय आने की सूचना अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर को दी गयी थी।

(viii) राजपुर प्रखंड कार्यालय का आवास ध्वस्त एवं रहने योग्य नहीं होने के बावजूद वे प्रखंड परिसर स्थित व्यापार मंडल के कमरे में रहते थे। उक्त आवास में दिनांक 18.04.2002 को चोरी भी हुई थी, जिसके लिए उनके द्वारा थाना प्रभारी राजपुर को पत्र प्रेषित किया गया था।

(ix) दिनांक 17.02.2003 को अवकाश से लौट कर राजपुर प्रखंड कार्यालय पहुंच गये थे। दिनांक 18.02.2003 को मुखिया की हत्या के उपरांत जानकारी होते ही इनके द्वारा थाना प्रभारी राजपुर के साथ घटना स्थल का दौरा किया गया था। श्री कुमार के अनुसार डिहरी पंचायत राजपुर प्रखंड के अंतर्गत लेकिन चौसा प्रखंड के करीब है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर के पहुंचने के बाद थाना प्रभारी राजपुर के साथ घटना स्थल पर पहुंच पाये।

7. श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा दिनांक 20.11.2002 को जिला पदाधिकारी, बक्सर को समर्पित पत्र में भविष्य में मुख्यालय से अनधिकृत से अनुपस्थित न रहने का आश्वासन दिया गया था। स्पष्ट है कि ये अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहे हैं। श्री कुमार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक 650 दिनांक 26.10.2002 को संलग्न किया गया है, जिसमें स्पष्ट अंकित है कि दिनांक 19.10.2002 को प्रातः 8:00 बजे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा खोज करने पर ज्ञात हुआ कि ये मुख्यालय में नहीं हैं। संध्या 7:00 बजे उनके आगमन के पश्चात उनके प्रखंड की प्राथमिक सूची की तैयारी पूर्ण की जा सकी। इस तिथि को अपर समाहर्ता बक्सर के राजपुर अंचल निरीक्षण अनुपस्थित पाये गये हैं। इनके इस कृत्य के लिए जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया तथा सुधार नहीं होने की दशा में आरोप पत्र गठित कर इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत अनुपस्थिति संबंधी आरोपों को प्रमाणित माना गया है। श्री कुमार द्वारा पूर्व में समर्पित लिखित अभिकथन के तथ्यों को ही पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में पुनरावृति की गयी है। इनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में किसी नये तथ्यों/साक्ष्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त विचाराधीन पुनर्विलोकन अभ्यावेदन इसके लिए नियम में विहित अवधि 45 दिनों के अन्दर समर्पित नहीं किया गया है।

समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16241 दिनांक 24.08.2023 द्वारा अधिरोपित दंडादेश को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है।

8. अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक 701/11 तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजपुर, बक्सर के पुनर्विचार आवेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16241 दिनांक 24.08.2023 द्वारा अधिरोपित दंड यथा (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2003–04) एवं (ii) दो वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड को यथावत रखा जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रविन्द्र नाथ चौधरी,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 511-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in